प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या — 01/2020 आर.टी.आई. (आरसीएमएस/2020/00243)
दायर दिनांक — 15.06.2020
निर्णय दिनांक — 24.06.2020

श्री गणेशलाल पालीवाल पिता श्री मोहनलाल, निवासी 5, श्रीनाथ सोसायटी, पीपली चौक, गणेशनगर, पायड़ा, उदयपुर	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :—

श्री गणेशलाल पालीवाल पिता श्री मोहनलाल, निवासी 5, श्रीनाथ सोसायटी, पीपली चौक, गणेशनगर, पायड़ा, उदयपुर ने सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 08.06.2020 को कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराये जाने एवं जानबुझ कर सूचनाएं उपलब्ध कराने में टालमटोल करने के आक्षेप के प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1534—35 दिनांक 12.06.2020 से श्री गणेशलाल पालीवाल द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति—उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 15.06.2020 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि कार्मिक (क—1) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 21.09.2019 से संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, टी.ए.डी. उदयपुर के स्थान पर संभागीय आयुक्त, उदयपुर पदनाम किया गया एवं आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर पर पृथक से आयुक्त पदस्थापित किया गया। इस आदेश के अनुसार कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर उक्त दिनांक 21.09.2019 से पृथक—पृथक कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं अवगत कराया गया कि श्री मांगीलाल पालीवाल जनजाति आयुक्त के अधीन संभाग में संचालित जनजाति छात्रावास जिनमें राजकीय फतह सी.से. विद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास में वर्ष 1995 से करीब तथा मधुवन स्थित राजकीय रेजीडेन्सी विद्यालय छात्रावास में वर्ष 2000 एवं टीआरआई कार्यालय अशोक नगर में कार्यरत रहा है। स्पष्ट है कि उक्त कार्मिक कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में कभी भी कार्यरत नहीं रहा है और न ही वर्तमान में कार्यरत है। ऐसी स्थिति में वांछित सूचना इस कार्यालय द्वारा संधारित अथवा देय नहीं होने से इस कार्यालय के पत्रांक 1148 दिनांक 24.03.2020 से अपीलार्थी श्री गणेशलाल को अवगत कराया गया। इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में सूचित किया गया। न ही अपीलार्थी को सूचना प्रदान करने में टाल—म—टोल किया गया और न ही गोल मोल जवाब दिया गया।अपीलार्थी के आवेदन पर निर्धारित समयावधि में सूचना जारी की गई और सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 1613 दिनांक 17.06.2020 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.06.2020 को कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि उपरान्त भी उपलब्ध नहीं कराई गई एवं जानबुझ कर सूचनाएं उपलब्ध कराने में टालमटोल की गई। नियमों प्रावधानों के अनुसार वांछित सूचना दिये जाने हेतु प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग को सूचना दिये जाने हेतु अंतरित किया जाकर नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित फरमाया जावें।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, प्राप्त लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। निर्विवादित स्थिति है कि कार्मिक (क–1) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 21.09.2019 से संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, टी.ए.डी. उदयपुर के स्थान पर संभागीय आयुक्त, उदयपुर पदनाम किया गया एवं आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर पर पृथक से आयुक्त पदस्थापित किया गया। इस आदेश के अनुसार कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर उक्त दिनांक 21.09.2019 से पृथक–पृथक कार्यरत है। जहां तक आवेदन पत्र के अन्तरण का प्रश्न है, अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय को सम्बोधित कर इस विभाग में कार्यरत कर्मचारी का अंकन कर सूचना चाही गई जिस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पत्राचार किया गया। ऐसी स्थिति में अन्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत आक्षेप स्वीकार योग्य नहीं है।

यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्रकट किया गया कि श्री मांगीलाल जनजाति आयुक्त अधीनस्थ कार्यालय मे कार्यरत रहा हैं। उक्त कार्मिक कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में कभी भी कार्यरत नहीं रहा है और न ही वर्तमान में कार्यरत है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी द्वारा वही सूचना प्रदत्त की जा सकती है, जो उसके पास उपलब्ध है या उसके नियत्रंण में है। प्रस्तुत अपील के अवलोकन अनुसार अपीलार्थी द्वारा इसी विषय पर जनजाति कार्यालय में भी अपील/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, जिससे अपीलार्थी का वादकरण/अपील बहुल्यता का आचरण प्रकट होता है, जो उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 19.03.2020 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अपीलार्थी अपील के आधारों को एवं लोक सूचना अधिकारी के उत्तर का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खण्डन करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
2. श्री गणेशलाल पालीवाल पिता श्री मोहनलाल, निवासी
   5, श्रीनाथ सोसायटी, पीपली चौक, गणेशनगर, पायड़ा, उदयपुर

संभागीय आयुक्त, उदयपुर